

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 01 स्थायी आंशिक निःशक्तता के मामले में ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 337500/- (तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक के पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रंजीत कुमार उर्फ गैना राजवंशी, 19, अनु० जाति	श्री शुकर राम उर्फ शुकर राजवंशी(पिता)	132/06.02. 2018, 742/29.08. 2018	ग्रा०-सोमरन विगहा, पं०-बभनौर, धा०+प्र०-नरहट, नवादा	697001000 04997	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सेराजनगर नरहट, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ईट भट्टा पर ईट निर्माण कार्य
2	श्री उमेश पासवान, 55, मोसाफिर पासवान, अनु० जाति	स्वयं	133/06.02. 2018, तदैव	ग्रा०-हण्डिया, पो०+प्र०+धा०-नारदीगंज, नवादा	360814060 45	भारतीय स्टेट बैंक, KIOSK, नारदीगंज, ,SBIN0012598	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	स्थायी आंशिक निःशक्तता, खेती में मजदूरी का कार्य
3	स्व० अजीत कुमार, 28, श्री ईश्वरी सिंह, अ० पि० जाति	श्रीमती पुजा कुमारी उर्फ पुजा देवी(पत्नी)	924/18.12. 17, तदैव	ग्रा०-पार नवादा डोभरा पर, पो०+धा० +प्र०+जि०- नवादा	303301100 67703	यूको बैंक, नवादा, UCBA0003033	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में राजमिस्त्री का कार्य
4	स्व० कारू पंडित, 52, श्री गोविन्द पंडित, अ० पि० जाति	श्रीमती रेणु देवी(पत्नी)	925/18.12. 17, तदैव	ग्रा०-महुलीडीह, पो०-सिसवाँ, धा०+प्र०+जि०-नवादा	754101000 04855	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, भदौनी, नवादा, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, रिक्शाचालक

कुल :- ₹ 337500/-

(तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-56/2015 के पृष्ठ-41/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-56/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-


(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-56/2015-500


पटना, दिनांक :- 24-10-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभियों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 337500/- (तीन लाख सड़सठ हजार पाँच सौ रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, नवादा को उनके पत्रांक 742 दिनांक 29.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।